

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
LABOUR DEPARTMENT, 5, SHAM NATH MARG, DELHI-110054

No. F 19 (4)/CIS/05/ 3761

Dated: 11/11/2011

NOTIFICATION

No. F 19 (4)/CIS/05/
to section 4 of the Delhi Shops and Establishments Act, 1954 (Delhi Act 7 of 1954) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following addition in the Schedule appended to the said Act.

- In exercise of the powers conferred by the proviso

In the said Schedule under "Establishment etc.", after the existing entry at serial no. 261, the following entry shall be added, namely:-

"262 (i) M/s Twenty Four Seven
Convenience Store,
Nineteenth Hole Service
Station, Dr. Zakir Hussain
Marg, New Delhi

(ii) M/s Twenty Four Seven
Convenience Store,
23, (Ground Floor)
Jawahar Nagar, (opposite
- Hans Raj College),
Delhi-07

From section 15 of the Act, subject to the following conditions:-

- i) Overtime wages shall be paid to eligible employees at double the normal rate as provided under section 8;
- ii) Shift working, if any, shall be in such a way that neither any employee is forced to work in night shift only, nor overlapping of shifts is permitted.
- iii) A copy of this notification shall be prominently displayed at the employee entrance of the establishment."

Further, it is clarified that no woman shall be allowed or required to work during the hours prohibited under section 14 of the Act, unless otherwise exempted.

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE
LT. GOVERNOR
THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI,

Asst. Secretary
S
MN

P. Sharma
(PRIYUSH SHARMA)
JOINT SECRETARY (LABOUR)

No. F 19 (4)/CIS/05/

Dated:

Copy forwarded to the:-

1. The Principal Secretary to the Lt. Governor, Delhi.
2. The Principal Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
3. The Secretary to the Minister of Labour, Govt. of NCT of Delhi.
4. The Principal Secretary (L.J&L.A.), Govt. of NCT of Delhi.
5. The Principal Secretary (Labour), Govt. of NCT of Delhi.
6. Labour Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5, Sham Nath Marg, Delhi.
7. Dy. Commissioner of Police (South-East District), New Delhi.
8. Dy. Commissioner of Police (North District), New Delhi.
9. The Dy. Secretary (GAD), Co-ordination Branch: in duplicate, for publication in Delhi Gazette, Part-IV Extraordinary of today's date.
10. Special Commissioner/ JLCs/DLCs/ALCs/LOs, Labour Department, Govt. of NCT of Delhi.
11. Assistant Director (Planning), Labour Department, Govt. of NCT of Delhi with the request for publication in the Labour Statistics and on the website and to include it in the notification to be placed before the Vidhan Sabha.
12. Dy. Labour Commissioner (Shramik Help Line), Labour Department, Govt. of NCT of Delhi.
13. Librarian, Labour Department, Govt. of NCT of Delhi.
14. M/s Twenty Four Seven Retail Stores Pvt. Ltd., 4, Community Centre, New Friends Colony, New Delhi-110065
15. Guard File.


JOINT SECRETARY (LABOUR)
GOVT. OF NCT OF DELHI

दिल्ली राजपत्र के असाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
श्रम विभाग ; 05 शामनाथ मार्ग, दिल्ली

संख्या; एफ. 19/4/सीआईएस/05/3761

दिनांक: 11/7/2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 19/4/सीआईएस/05/ दिल्ली दुकान एवं संस्थापन अधिनियम 1954 (1954 का दिल्ली अधिनियम 7) की धारा 4 के परन्तुक के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के संलग्न अनुसूची के निम्नलिखित परिवर्द्धन करते हैं।

उक्त अनुसूची में प्रतिष्ठान, इत्यादि शीर्षक में वर्तमान प्रविष्टि क्रम संख्या 261 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि को जोड़ा जायेगा नाम से :-

अधिनियम की धारा-15 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-

262. (i) मेसर्स ट्वेन्टी फोर सेवन कोनविनिएस स्टोर, नटीन हो सर्विस स्टेशन, डाक्टर जाकिर हुसैन मार्ग, नई दिल्ली ।
- (ii) मेसर्स ट्वेन्टी फोर सेवन कानविनिएस स्टोर, 23, (ग्राउण्ड फ्लोर) जवाहर नगर, (अपोजिट हंस राज कॉलेज), दिल्ली-7
1. पात्र कर्मचारियों को धारा 8 में यथा उपबंधित सामान्य दर से लगनी दर पर समयोपरि वेतन का भुगतान किया जाएगा ।
 2. यदि पारी में कार्य चलता हो, तो इस प्रकार से होगा कि किसी भी कर्मचारी को केवल रात्रि पारी में कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा और न ही दो पारियों को लगातार एक साथ काम करने की अनुमति है ।
 3. इस अधिसूचना की एक प्रति व्यापार स्थल पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जायेगी ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी महिला को अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत वर्जित समय के दौरान कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर

पीयूष शर्मा
संयुक्त सचिव (श्रम)

क्रमशः

संख्या; एफ. 19/4/सीआईएस/05/

दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित:-

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल कार्यालय, दिल्ली ।
2. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री कार्यालय, दिल्ली सरकार ।
3. सचिव, माननीय श्रम मन्त्री कार्यालय, दिल्ली सरकार ।
4. प्रधान सचिव (विधि एवं न्याय), दिल्ली सरकार ।
5. प्रधान सचिव (श्रम), दिल्ली सरकार ।
6. श्रमायुक्त, 5-शामनाथ मार्ग, दिल्ली-54
7. उपायुक्त, दिल्ली पुलिस (दक्षिण पूर्व जिला), नई दिल्ली ।
8. उपायुक्त, दिल्ली पुलिस (उत्तर जिला), नई दिल्ली ।
9. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, सह समन्वय शाखा, दिल्ली को आज के असाधारण राजपत्र भाग-4 में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियां)
10. विशेष श्रमायुक्त/संयुक्त श्रमायुक्त/उप-श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त/ श्रम अधिकारी, श्रम विभाग, दिल्ली सरकार ।
11. सहायक निदेशक (योजना), श्रम विभाग, दिल्ली को सांख्यिकी व वेबसाईट में शामिल करने के लिए तथा विधानसभा के पटल पर रखने के लिए ।
12. उप-श्रमायुक्त (श्रमिक हेल्प लाईन), श्रम विभाग, दिल्ली सरकार ।
13. पुस्तकालयाध्यक्ष, श्रमायुक्त कार्यालय, 5-शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054
14. मेसर्स टवेन्टी फोर सेवन रिटेल स्टोर प्राईवेट लिमिटेड, 4, कम्युनिटी सेन्टर, नई फ्रेण्ड कॉलोनी
15. गार्ड फाईल ।

संयुक्त सचिव (श्रम)